<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>09/01/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने **मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) और अन्य के केस** में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07.01.2025 को सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने सुरेश कुटे को 4 दिनों के लिए यानी 10.01.2025 तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति दी है।

ईडी ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से सुरेश कुटे और अन्य द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में आईपीसी, 1860 और एमपीआईडी अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा मई से जुलाई 2024 के महीनों के दौरान दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

डी.एम.सी.एस.एल. का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी. कुलकर्णी और अन्य लोगों के पास था। इसने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं और 12% से 14% तक ब्याज देने का दावा किया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुरेश कुटे और अन्य ने 4 लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके डी.एम.सी.एस.एल. में पैसा जमा करने के लिए लुभाया। हालांकि, जमा परिपक्व होने पर निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें धोखा दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि डी.एम.सी.एस.एल. के फंड को सोसायटी के प्रबंधन द्वारा गबन किया गया था, जिसमें सुरेश कुटे और अन्य ने कुटे समूह (सुरेश कुटे और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना कुटे के स्वामित्व वाली कंपनियों का समूह) की विभिन्न कंपनियों को ऋण की आड़ में 2,470 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि को अवैध रूप से और धोखाधड़ी पूर्वक डायवर्ट करने के लिए आपराधिक साजिश रची। इन फर्जी ऋण राशियों के वितरण के बाद, उनके द्वारा कुटे समूह की संस्थाओं के कई खातों के माध्यम से या सीधे नकदी के रूप में धन की हेराफेरी की गई। सोसाइटी से प्राप्त धन का उपयोग उनके अपने व्यक्तिगत लाभों जैसे नए व्यवसायों में निवेश, संपत्ति खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 09.08.2024, 20.09.2024 और 14.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया था। इन तलाशी अभियानों के दौरान, 11 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज/जब्त किया गया था। ईडी ने 24.09.2024 को 85.88 करोड़ रुपये, 09.10.2024 को 1002.79 करोड़ रुपये और 05.11.2024 को 333.82 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1433.48 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****